लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ
कुलसचिव कार्यालय सूचना प्रकोष्ठ

सं0 RTI-9963-10000
दि0 13/7/2021

सूचना

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष, / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / प्राचार्य, प्रोवोस्ट वित्त अधिकारी, / लेखाधिकारी, / उपकुलसचिव, / सहा. कुलसचिव, कार्यालय अधीक्षक।

विशयः **सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएं मांगी जाती है, परन्तु उक्त सूचनाएं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त न होने के कारण आवेदको द्वारा मा0 राज्य सूचना आयोग में अपील की जाती है, जिसमें सुनवाई के समय प्रायः काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है एवं उक्त उक्त वादो में दण्ड भी अधिरोपित होता है, जिससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आवेदको द्वारा मांगी गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने की दशा में सूचनाएं निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है **तो निदेशक, आर.टी.आई. सेल ,कुलसचिव कार्यालय के सूचना प्रकोष्ठ से अभिमत / सलाह प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।** यदि निर्धारित अवधि में आप द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उक्त की दशा में सूचना अधिकार अधिनियम की धारा––5(5) के अन्तर्गत आप ही जनसूचना अधिकारी माने जायेगे।, तथा इस उपबन्ध के उल्लंधन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव,

संख्या : RTI-9963-10000 दिनांक : 13/7/2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1 सचिव कुलपति , मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2 वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3 प्रभारी, ~~डी0डी0पी0, सेल,~~ web site को इस प्रेषित कि उक्त सूचना ल0वि0वि0 के वेबसाइट पर अपलोर्ड कराने का कष्ट करें।

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव